## सार-समाचार

### देवनानी ने किया दौरान

**अजमेर,** (कासं)। नगर निगम सीमा के डिग्गी बाजार में बीते सप्ताह नाज होटल में हुए अग्निकांड के बाद परकोटा क्षेत्र में बनी होटल का सर्वे नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्किट हाउस में नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अग्निकांड के बरे में अधिकारियों ने देवनानी को विस्तृत जानकारी दी। देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए ऐसे हादसे की पुनर्विवर्ती न हो इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने आवश्यक है। देवनानी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि परकोटा क्षेत्र में बने सभी व्यावसायिक कॉम्प्लैक्सों की सूची होनी चहिए तथा इनमें सुरक्षा के नियमों को सुनिश्चितता की जाना चहिए, साथ ही ऐसे सभी होटल, गेस्ट हाउस पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनमें सुरक्षा नियमों और निगम द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना की जा रही है, ऐसे सभी कंपलेक्सों पर नियमों के अतर्गत कार्यवाही की जाए। निगम अधिकारियों ने बताया कि परकोटा क्षेत्र में बने सभी कंपलेक्सों की जांच कराई जा रही है तथा सभी को सूचीबद्ध कर उनमें जो कमियां हैं उसका सर्वे किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार परकोटा क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने की कवायद की जाएगी ताकि भविष्य में होने वाले ऐसे हादसों से बचा जा सके।

### पीड़िता ने पुलिस में दी शिकायत

**अजमेर,** (कासं)। रोडवेज बस में सफर रही एक महिला यात्री के सोने के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। पीडिता कालू की ढाणी निवासी कैलाश कंवर ने सिविल लाइन थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस को दी शिकायत में पीडिता कैलाश कंवर ने बताया कि कुचामन से रोडवेज बस से अजमेर आ रही थी। बस में यात्रा के दौरान उसके पर्स से 8 तोला सोने के जेवर चोरी हो गए। उन्होंने दो अज्ञात युवतियों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर चोरी करने का संदेह जताया है। पीडिता ने बताया कि वह अपने पीहर नारायणपुर से अजमेर आ रही थी। यात्रा के दौरान उसने एक छोटा पर्स हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसमें सोने के जेवर रखे थे। बस में काफी भीड़ थी और कुछ देर बाद दो लड़कियां आई और दोनों ने उनसे बैठने के लिए जगह मांगी। पीडिता कैलाश कंवर बताया कि कुछ देर बाद उन लड़कियों से अजीब सी बदबू आने लगी, जिससे उसे नींद आ गई। जब वह अजमेर बस स्टैंड पर पहुंची और होश में आई तो पाया कि उसका पर्स गायब था। शक के आधार पर महिला ने दोनों युवतियों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

### दिन दहाड़े चोरों का आतंक

**अजमेर,** (कासं)। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हरीभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र के हाथीखेड़ा इलाके में सोमवार को दिनदहाड़े एक घर में घुसकर चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय घर के सदस्य मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। पीडित् तारासिंह ने बताया कि सोमवार सुबह उसकी मां और बहन रोजना की तरह सुबह 9 बजे मजदूरी के लिए निकली थीं। दोपहर को जब बहन वापस लौटी तो मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ थाए लेकिन अंदर जाने पर पाया कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और ताले टूटे हुए थे। अलमारी के लॉक भी टूटी हुई हालत में मिले और सारा सामान बिखरा पड़ा था। पीडित् के अनुसार अलमारी में उसकी मां और बहन के सोने.चांदी के आभूषण एक बैग में रखे थे,जिसे चोर चुरा ले गए। इसके अलावा 14 हजार रुपए नकद भी चोरी हो गए। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद हरीभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इलाके में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

### क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन

**अजमेर,** 05 मई (कासं)। 'सॉफ्ट स्किल्स एवं समग्र विकास' विषय पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पांच दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन 5 से 9 मई 2025 तक किया जा रहा है। विभिन्न तकनिकी सत्रों में सभी प्रतिभागियों को एनआईटीटीआर भोपाल से आए विषय विशेषज्ञ प्रो. मनीष भार्गव और प्रो. अस्मिता खजांची प्रशिक्षण दे रहे है। प्रशिक्षण के दौरान प्रो. मनीष भार्गव ने समग्र विकास और विकसित भारत2047 के पहलुओं पर जोर दिया। वहीं प्रो. अस्मिता खजांची ने अपने तकनीकी सत्र में सॉफ्ट स्किल्स विकास के लिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण और समग्र विकास में शिक्षक की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने छात्र-केंद्रित अधिगम के लिए स्किल मैट्रिक्स की तैयारी पर भी चर्चा की।प्रशिक्षण आयोजन के विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने कहा कि - बढ़ते परिवेश में शिक्षकों को शैक्षणिक परिवेश में केवल अकादमिक दक्षता पर्याप्त नहीं है, शिक्षकों को अब बहुआयामी कौशलों से युक्त होना आवश्यक है।

### तापमान में आई गिरावट

**अजमेर** (कासं)। प्रदेश में लगातार पश्चिमी दबाव के चलते मौसम ने अपना मिजाज बदला तो वही, तेज हवाओं के साथ बारसात से मौसम सुहावना हो गया है। अजमेर में भी बीती रात से हो रही तेज हवाओं के साथ आंधी और हल्की बारिश का दौरा जारी है, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सोमवार सुबह भी करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई, जिसके बाद भी रुक-रुक कर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा और दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। पिछले दो दिनों से मौसम में आए बदलाव के चलते बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

# अवैध खनन को लेकर एक बड़ी कार्रवाई

**मसूदा,** । जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खडगावत के स्पष्ट निर्देशों के तहत रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग, राजस्व विभाग तथा पुलिस जाप्ता की संयुक्त टीम ने मसूदा तहसील के ठााम केसरपुरा में अवैध खनन के खिलाफ छापामारी की।इस अकस्मात कार्यवाही के दौरान ठााम केसरपुरा में खसरा संख्या 249 गै.मु.दांती में अवैध रूप से खनिज फेल्सपार का उत्खनन होता पाया गया। मौके पर मौजूद हल्का पटवारी द्वारा यह पुष्टि की गई कि खनन कार्य न केवल उक्त खसरा संख्या में हो रहा था, बल्कि उससे लगते खसरा संख्या 170 की खातेदारी भूमि का भी प्रयोग अवैध खनन पिट को भरने हेतु किया जा रहा था,जहाँ पर लगभग 200 टन फेल्सपार डस्ट, साधारण मिट्टी एवं झीकरा का स्टॉक किया हुआ मिला।जांच में यह तथ्य सामने आया कि अवैध खनन कार्य सायर पुत्र श्री गोमा, निवासी लहरी, तहसील मसूदा एवं खसरा संख्या 170 के खातेदारों की मिलीभगत से किया जा रहा था।

खनन को छुपाने के प्रयासस्वरूप पिट को मलबे से भरने की कोशिश की जा रही थी, किंतु प्रशासनिक सतर्कता ने इन प्रयासों को विफल कर दिया। अवैध खनन पिट का नाप करने पर इसकी लंबाई 65 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर तथा गहराई 7 मीटर पाई गई। अनुमानित रूप से इस पिट से लगभग 18,928 टन खनिज फेल्सपार का अवैध खनन कर निर्यात किया गया था, जिसकी बाजार कीमत के अनुसार 2.27 करोड़ की शास्ती आरोपित की गई है। प्रशासन द्वारा मौके पर ही अवैध खनन का प्रकरण बनाकर संबंधित खातेदारों व खननकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस थाना सदर में एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई है। साथ ही खातेदारी अधिकार निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। जिला प्रशासन अवैध खनन के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस नीति' पर कार्य कर रहा है और ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

## डिस्कॉम की संभाग स्तरीय जनसुनवाई 8 को

**अजमेर,**(कासं)। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के दिशा निर्देशों पर हाथी भाटा स्थित पावर हाउस में अजमेर डिस्कॉम की संभाग स्तरीय जनसुनवाई 8 मई को आयोजित होगी। डिस्कॉम के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि संभाग स्तरीय जनसुनवाई 8 मई गुरुवार को प्रात: 11 से दोपहर एक बजे तक कार्यालय संभागीय मुख्य अभियन्ता हाथीभाटा परिसर पर आयोजित की जाएगी। इस जनसुनवाई में अजमेर संभाग के अधीनस्थ आने वाले अजमेर, ब्यावर, भीलवाडा, नागौर एवं डीडवाना कुचामन जिलों के उपभोक्ता विद्युत सेवाओं से संबंधित अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकेंगे। जनसुनवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं और परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण करना है।

## समाज के कमजोर वर्ग को सक्षम बनाना आयोग का है दायित्व : नायक

**अजमेर,** (कासं)। राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार नायक ने सोमवार को अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा कर मीडियाकर्मियों के साथ वार्तालाप किया। अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के परियोजना प्रबंधक जयप्रकाश ने बताया कि सोमवार को राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक अजमेर के प्रवास पर रहे। सर्किट हाउस स्थित मीटिंग हॉल में अधिकारियों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों से जिले की प्रगति के बारे में चर्चा की। अनुजा निगम द्वारा दिए जा रहे ऋण योजनाओं की जानकारी अधिकारियों से ली। ऋण से वंचित रहे व्यक्तियों तक निगम योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। समाज के कमजोर वर्ग को सक्षम बनाने का दायित्व निगम लगातार निभाती रहेगी। उन्होंने बताया कि मीडिया को संबोधित करते हुए अध्यक्ष नायक ने कहा कि अजमेर के समस्त जरुरतमन्द एवं पात्र व्यक्तियों को निगम की योजनाओं का लाभ दिलाया जाना प्रथम प्राथमिकता है। इनके माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना में अनुदान की राशि को 5 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया है।

### नाम परिवर्तन

**मैंने अपनी पुत्री का नाम समायरा से बदलकर समायरा गोयल रख लिया है, भविष्य में सभी उद्देश्यों (पासपोर्ट, इत्यादि) की पूर्ति हेतु उसे समायरा गोयल पुत्री श्री रवि गोयल के नाम से जाना पहचाना जाए। पता- ओमनी हाउस,जयपुर रोड, अजमेर, राजस्थान।**

## पुरानी मंडी व केसरगंज में महिला शौचालय का

■ **खरीददारी के लिए आने वाली महिलाओं को शीघ्र ही बड़ी परेशानी से मुक्ति मिलेगी**

**अजमेर,** कासं)। अजमेर के व्यस्ततम पुरानी मंडी और केसरगंज में खरीददारी के लिए आने वाली महिलाओं को शीघ्र ही बड़ी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर इन बाजारों की सालों पुरानी समस्या का समाधान होने जा रहा है। इन बाजारों में महिला शौचालय बनेंगे। रोजाना हजारों महिलाओं को राहत मिलेगी।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को पुरानी मंडी व केसरगंज में नगर निगम की भूमि पर महिला शौचालयों के निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि लम्बे समय से महिलाओं को बाजारों में टॉयलेट नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड रहा था। अजमेर के व्यस्ततम बाजारों में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड रहा था। बाजार में खरीदारी के लिए आने वाली महिलाओं को राहत देने के लिए पिछले दिनों स्थान चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक वर्ग को राहत और सहूलियत मिले। इसके लिए बाजारों में महिला शौचालय बनाने की शुरूआत की गई है।

अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में महिला शौचालय के लिए स्थान चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जा रहा है। बाजारों में खरीददारी के लिए आने वाली महिलाओं को राहत मिलेगी। इन दोनों बाजारों के व्यापारिक संगठनों ने भी श्री देवनानी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इसमें हजारों महिलाओं को रोजाना की परेशानी से राहत मिलेगी। इस अवसर पर महापौर ब्रजलता हाड़ा, पार्षद अशोक मुद्रगल, संदीप गोयल, प्रकाश बंसल, योगेश शर्मा, किशन गुप्ता, डॉ. प्रेमसुख सुराना, आशीष शर्मा, कमल गंगवाल, पुनीत बसंल, गोपाल चौहान, सूरज जैन, गोविन्द प्रसाद शर्मा, विष्णु शर्मा, हरीश साहनी, बालेश गोहिल, जसपाल बेदी आदि उपस्थित रहे।

## 'सरकार के दबाव में पुलिस कर रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज'

**अजमेर,** (कासं)। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को पत्र लिखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बेवजह मुकदमे दर्ज किए जाने पर आपत्ति जाहिर की और अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करने का बड़ा आरोप लगाया।

पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा कि, पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष पर प्रदर्शन करने पर कोटा में एफआईआर, फिर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार करने एवं उनका जुलूस निकालने के बाद अब राजस्थान पुलिस ने प्रधानमंत्री का पुतला जलाने पर अजमेर में दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धार्मिक भावना भड़काने की एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यह साफ दिखाता है कि राजस्थान में अब लोकतांत्रिक प्रदर्शन जैसे काले झंडे दिखाना, पुतले जलाना, धरना देना आदि भी सरकार की नजरों में प्रतिबंधित हो गया है और पुलिस सरकार के दबाव में लगातार कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर रही है।

मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैंने इस संदर्भ में अजमेर पुलिस अधीक्षक से बात की एवं अपना विरोध दर्ज कराया है। राजस्थान की पुलिस ने जोधपुर में दो दिन पहले एक दलित युवती की दुर्व्यवहार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिससे आहत होकर वो युवती आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। परन्तु यही पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अनर्गल एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार रहती है। मेरा पुलिस महानिदेशक से आग्रह है कि लोकतांत्रिक तौर-तरीकों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई न करें, जिसे अदालतों में जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाए। पुलिस को इस दबाव से बाहर आकर लोकतांत्रिक तौर-तरीकों का समर्थन करना चाहिए।


**Altum Credo Home Finance — अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**
रजि. कार्यालयः फ्लोर नंबर 7, कल्पतरु इनफिनिया, वाकडेवाडी, शिवाजीनगर, पुणे - 411005, महाराष्ट्र (भारत)

**मांग सूचना**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत हस्ताक्षरकर्ता, अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (ACHFL) का अधिकृत अधिकारी है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत। उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए है, जिसमें उधारकर्ता (ओं) उक्त उधारकर्ता (ओं) से उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने का आह्वान किया गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता (ओं) को इस नोटिस के प्रकाशन से साठ दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशि, साथ ही उक्त मांग नोटिस (ओं) में वर्णित अतिरिक्त ब्याज, नीचे उल्लिखित तिथि (ओं) से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक, उक्त उधारकर्ता (ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय राशि का भुगतान करने के लिए, अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एसीएचएफएल) को सूचित किया जाता है। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ता (ओं) द्वारा अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एसीएचएफएल) को गिरवी रखा गया है।

| उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और गारंटर का नाम ऋण खाता संख्या |
|---|
| 1. शैतान सिंह (एप्लीकेंट) 2. संतरा संतरा (को-एप्लीकेंट)<br>लैन नंबरः S171202000093 |
| डिमांड नोटिस की तारीख और एनपीए तारीख के साथ राशि |
| 10.04.2025 रु. 5,83,743/- (पांच लाख अस्सी हजार सात सौ तैंतालीस रुपये मात्र) एनपीए दिनांक 31.03.2025 |
| सुरक्षित परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण |
| कसरा नो. प्रोपर्टी एग्री, प्लॉट, ग्राम जवासिया, पतवार हल्का मांडफिया थ. गंगरार, डिस्ट. चित्तौड़गढ़ (राज.) 312901, एरिया 3228 स्क. फ़ट. विदिन द लिमिट ऑफ़ गंगरार डिस्ट. चित्तौड़गढ़ एंड ज़ूरिडिक्शन ऑफ़ सब-रजिस्ट्रर गंगरार डिस्ट. चित्तौड़गढ़ इस बौन्डेड अस अंडरः ईस्टः तेजा स/ओ उड़ा, वेस्टः रोड, नॉर्थः लादू स/ओ. नथु खटिक, साउथः भाव सिंह स/ओ. उदा बंजारा |

स्थान- राजस्थान
दिनांक- 06.05.2025
एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (ACHFL)

**Altum Credo Home Finance — अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**
रजि. कार्यालयः फ्लोर नंबर 7, कल्पतरु इनफिनिया, वाकडेवाडी, शिवाजीनगर, पुणे - 411005, महाराष्ट्र (भारत)

**मांग सूचना**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत हस्ताक्षरकर्ता, अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (ACHFL) का अधिकृत अधिकारी है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत। उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए है, जिसमें उधारकर्ता (ओं) उक्त उधारकर्ता (ओं) से उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने का आह्वान किया गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता (ओं) को इस नोटिस के प्रकाशन से साठ दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशि, साथ ही उक्त मांग नोटिस (ओं) में वर्णित अतिरिक्त ब्याज, नीचे उल्लिखित तिथि (ओं) से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक, उक्त उधारकर्ता (ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय राशि का भुगतान करने के लिए, अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एसीएचएफएल) को सूचित किया जाता है। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ता (ओं) द्वारा अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एसीएचएफएल) को गिरवी रखा गया है।

| उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और गारंटर का नाम ऋण खाता संख्या |
|---|
| 1. होकम बगरिया (एप्लीकेंट) 2. नारायणी देवी (को-एप्लीकेंट)<br>लैन नंबरः S148202000057 |
| डिमांड नोटिस की तारीख और एनपीए तारीख के साथ राशि |
| 10.04.2025 रु. 6,68,033/- (छह लाख अड़सठ हजार तैंतीस रुपये) केवल) एनपीए तिथि- 31.03.2025 |
| सुरक्षित परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण |
| पट्टा संख्या 37, ग्राम महुवाखुरद, ग्राम पंचायत-महुवाखुरद, पंचायत समिति बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा, क्षेत्रफल 140 वर्ग पर स्थित संपत्ति। यार्ड। सब-रजिस्ट्रार बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा की सीमाओं और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नानुसार सीमाबद्ध है:- पूर्वः रामेश्वर ताली, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तर चंदा भगरिया, दक्षिणः नंदू भगरिया। |

| उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और गारंटर का नाम ऋण खाता संख्या |
|---|
| 1. रतन लाल कीर (आवेदक) 2. प्रेम देवी (सह-आवेदक)<br>नंबरः S148204000025 |
| डिमांड नोटिस की तारीख और एनपीए तारीख के साथ राशि |
| 10.04.2025 रु. 5,26,025/- (पांच लाख छब्बीस हजार पच्चीस रुपये मात्र) एनपीए दिनांक 31.03.2025 |
| सुरक्षित परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण |
| प्रोपर्टी सिचुएटेड अत पत्ता नो. 19 ग्राम कीरो की झोपडिया बीगोद, ग्रामपंचायत, बीगोद, पंचायत समिति मंडलगढ़, डिस्ट. भीलवाड़ा, एरिया 1261.745 स्क. फ़ट. विदिन द लिमिट्स ऑफ़ भीलवाड़ा एंड ज़ूरिडिक्शन ऑफ़ सब-रजिस्ट्रर मांडलगढ़ डिस्ट. भीलवाड़ा इस बौन्डेड अस अंडरः ईस्टः प्रोपर्टी ऑफ़ एमआर. शर्वन/शंकर कीर, वेस्टः प्रोपर्टी ऑफ़ एमआर. लड़/उडा कीर, नॉर्थः रस्त, साउथ प्रोपर्टी ऑफ़ एमआर. पानी देवी / भोजा कीर |

स्थान- राजस्थान
दिनांक- 06.05.2025
एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (ACHFL)


# अजमेर डेयरी द्वारा आयोजित धरना आगामी 14 मई तक स्थगित

■ **अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने यह जानकारी दी**

**अजमेर,** (कासं)। पशु आहार में उपलब्धता में अनियमितता के कारण पशुपालकों को हो रही परेशानी के कारण अजमेर डेयरी द्वारा जिले भर के समस्त दुग्ध उत्पादकों को लेकर 6मई में को जयपुर में आरसीडीएफ कार्यालय के बाहर जो धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, अब उसे आगामी 14 मई तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि उन्होंने संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्यों के समक्ष आरसीडीएफ के प्रतिनिधि के सी मीणा, पूर्व एमडी अजमेर डेयरी एवं संतोष शर्मा महाप्रबंधक आरसीडीएफ को पशु आहार के विकट समस्या एवं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के दुग्ध का समर्थन मूल्य5 रूपए प्रति लीटर की बकाया राशि की समस्या उठाई, उन्होंने बताया कि दोनों अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पशु आहार संयंत्र के प्रबंध संचालक सुधांशु गुर्जर का तबादला अजमेर से जयपुर कर दिया गया है तथा उनके स्थान पर डॉ निधिका जोशी के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात तीन दिन से कैटल फीड की रोजाना नियमित सप्लाई चल रही है, उन्होंने बताया कि लगभग 3500 से 4000 पशु आहार के बैग प्रतिदिन मिल रहे हैं, उन्होंने बताया कि अजमेर प्रभारी डॉक्टर निधिका जोशी ने अवगत कराया है कि आगामी 13मई तक पूरे जिले में समस्त दुग्ध उत्पादकों को पशु आहार उपलब्ध करवा देंगे, पशु आहार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे।

अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के 5 रूपए प्रति लीटर की 6 माह की बकाया राशि के भुगतान में से आगामी 13मई तक नवंबर में दिसंबर 2 माह का भुगतान भी पशुपालकों को मिल जाएगा। चार माह का भुगतान भी शीघ्र ही दे दिया जाएगा, उन्होंने बताया कि दोनों अधिकारियों के ठोस आश्वासन देने के पश्चात आगामी 6 मई का जो धरना आयोजित किया गया था उसे 14 में तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सदन में सर्व समिति से संचालक मडंल ने करतल ध्वनि से स्वागत किया गया है।

पत्रकार वार्ता में आरसीडीएफ प्रतिनिधि सहित अजमेर डेयरी के प्रबंध संचालक रामलाल चौधरी भी मौजूद रहे।

## डॉ. जयपाल फिर बने अध्यक्ष

**पुष्कर/ अजमेर** (कासं)। पुष्कर के रामदेव मंदिर में सम्पन्न हुए अखिल मेघवंश महासभा के आम चुनाव में अध्यक्ष पद पर डॉ. राजकुमार जयपाल, महासचिव पर महेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष पद पर देवेंद्र प्रकाश विजय घोषित किए गए। रविवार देर रात को भारी पुलिस जाप्ते व गहमागहमी के बीच हुई मतगणना का परिणाम घोषित करते मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ.चेतराम रायपुरिया ने बताया कि महासभा के कुल 2 हजार 92 मतदाताओं में से 1 हजार 478 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया।

अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉ. राजकुमार जयपाल को 747 व महावीर प्रसाद मेघवंशी को 683 मत प्राप्त हुए। डॉ.जयपाल को अध्यक्ष पद पर 64 वोट से विजय घोषित किया गया। वही महासचिव पद पर महेंद्र कुमार परिहार को 4 व कोषाध्यक्ष पद पर देवेंद्र प्रकाश को चार मतों से विजय घोषित किया गया।


**कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर**

मूल आवंटी अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामा(अन्तिम इच्छा पत्र) के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

**आम सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की बी. के. कौल नगर योजना के आवासीय खसरा नं. भूखण्ड सख्या 599-C क्षेत्रफल 213.33 वर्गगज के आवटी/अन्तरिति श्रीमति गीता देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जी सारस्वत निवासी प्लाट न. 599-सी कृष्ण विहार बी. के. कौल नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 21/05/2024 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामा (अन्तिम इच्छा पत्र) दिनाक 10/06/2019 अखिलेश कुमार सारस्वत पुत्र ओम प्रकाश सारस्वत स्थान सी कृष्ण विहार बी. के कौल नगर अजमेर राजस्थान द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तारण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज कराये उक्त नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

**कार्यालय नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान**

E-mail np pushkar.nagarpalika@gmail.com वतर बजार वही घाट के पास पुष्कर Ph -01452773025

क्रमांक: न.प.पु./भूमि/2025/186 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 02/05/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि के निम्न व्यक्ति द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पेश किया है। अतः आवेदक के वरूशीशुदा / खरीदशुदा सम्पति हक हकुक एवं मालिकाना स्वामित्व संबंधि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के तिथि से 07 दिवस में अपनी आपत्ति मय प्रमाण प्रस्तुत करें। आपत्ति समयावधि बाद प्रस्तुत करने पर मान्य नहीं होगी तथा परिषद द्वारा नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही प्रस्तावित की दी जायेगी, जिसके बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगा। विवरण निम्नानुसार है।

| क्र.सं. | आवेदक/पिता/पति का नाम | स्थान जहां सम्पति स्थित है | चतुर्थ सीमा | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री नितिन पाराशर पुत्र पवन कुमार पाराशर निवासी ई-4 बी, नई कॉलोनी, 5 वती जयपुर | पुराना खसरा नं. 213/4 का भाग भटवाय गणेश रोड पुष्कर | पूर्व-प्लानटेशन बेल्ट व तैड लेफट फॉर रोड ज्यांबाद अजमेर से बूढा पुष्कर रोड पश्चिम-खसरा नं. 251 का भाग | उत्तर-खसरा नं. 213/3 का भाग दक्षिण- खसरा नं. 212 का भाग |

आयुक्त नगर परिषद पुष्कर

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

**कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन,**

दीपक नगर जयपुर रोड, अजमेर-305001

क्रमांक-एजेजेड/9117.21/25/329 दिनांक-05/05/25

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती गंगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर दिनांक 01.03.2024 से बिना सूचना एवं अनुमति के स्वेच्छा से राजकीय कर्तव्य से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक एजेजेड/9117/25/215-16 दिनांक 04.03.2025, 238-39 दिनाक 18.03.2025 एवं 281-82 दिन